भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3549

17.12.2024 को उत्तर के लिए नियत

प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के दायरे में ई-टैक्सियों को शामिल करना

3549. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत के साझा मोबिलिटी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में अनुमोदित प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के दायरे में ई-टैक्सियों को शामिल करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो परिवहन क्षेत्र में अधिक माइलेज वाले वाहनों के पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में सरकार द्वारा किए गए किसी आकलन अथवा अध्ययन का ब्यौरा क्या है और कैब बेड़े के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के संभावित लाभ क्या हैं; और

(ग) पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कैब बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित किए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्यमंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) : जी नहीं। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 29 सितंबर, 2024 को अधिसूचित **पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम** का उद्देश्य ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-ट्रकों, ई-एम्बुलेंस और ई-बसों की बिक्री को प्रोत्साहित करना है। इस स्कीम का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना के विकास और वाहन परीक्षण एजेंसियों के स्तरोन्नयन के लिए सहायता प्रदान करना भी है।

(ख) : भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) : वर्तमान में, सरकार कैब बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान पर विचार नहीं कर रही है।

****